गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

पत्रांक 48 / मास्टर प्लान / जोन–4 / 24 दिनांक– 31 / 07 / 2024

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै० जी०के०वाई० इन्फ्राटेक एल.एल.पी. द्वारा खसरा संख्या– 1144 मि0 क्षेत्रफल 4020.00 वर्ग मी० ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु प्रस्तुत मानचित्र पर नियोजन अनुभाग की आख्यानुसार "गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा संख्या– 1144 ग्राम नूरनगर का भू–उपयोग 45 मी० चौड़े जोनल मार्ग के मार्गधिकार छोडनें के उपरान्त अवशेष आवासीय है।" गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या–1120/8–3–16–28 विविध/16 दिनांक 29.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में उक्त क्रिया अनुमन्य है। वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित) के अध्याय–5 में होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं के बिन्दु संख्या–5.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति /सुझाव उचित माध्यम से आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति /सुझाव आमंत्रित किये जाते है यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति /सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नही किया जा सकेंगा।

मुख्य नगर नियोजक

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb

हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प